

क्रम-संख्या-186 (क)



रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस0एस0पी0/एल-

डब्लू/एन0पी0/91/2014-16

लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 11 सितम्बर, 2019
भाद्रपद 20, 1941 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-1
संख्या 1036/62-1-2019-10जी0डब्ल्यू-2014
लखनऊ, 11 सितम्बर, 2019
अधिसूचना

प0आ0-261

उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2019) की धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल 2 अक्टूबर, 2019 को ऐसा दिनांक नियत करते हैं, जिस दिनांक को उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा।

आज्ञा से,
अनीता सिंह,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1036/LXII-1-2019-10GW/2014, dated Lucknow September 11, 2019.

No. 1036/LXII-1-2019-10GW/2014
Dated Lucknow, September 11, 2019

IN exercise of the powers under sub-section (3) of section 1 of the Uttar Pradesh Ground Water (Management and Regulation) Act, 2019 (U.P. Act no. 13 of 2019) the Governor is pleased to appoint 2nd October, 2019 as the date on which said Act shall come into force.

By order,
ANITA SINGH,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 270 राजपत्र-2019-(771)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।
पी०एस०यू०पी०-ए०पी०-2 सा0 लघु सिंचाई एवं भू-गर्भ जल-2019-(772)-1000 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।